

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक, रीडर/2025/1611

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 22.04.25

अप्रार्थीगण

1 भीमाराम 2 आदाराम
3 मगाराम पिसारान
परतापाराम जाति
कुमवात निवासी
खेतरलाई झाक
तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।


1 शेराराम 2 सागाराम पिसारान खेराजराम 3 मगाराम 4
राणाराम 5 शेराराम 6 हरजीराम पिसारान जवाराराम जाति
कुमावत निवासी खेतरलाई 7 विरदाराम पुत्र पीराराम 8
अचलाराम 9 किशनाराम 10 खरथाराम 11 खेराजराम 12
पुरखाराम पिसारान देवाराम 13 बाली देवी पत्नि देवाराम
14 चुतराराम पुत्र कुंभाराम 15 मालाराम पुत्र लादाराम 16
हरखाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी काला नाड़ा
17 प्रहलादराम पुत्र अचलाराम जाति 18 हुकमाराम पुत्र
लालाराम जाति जाट निवासी खीपर 19 तहसीलदार
बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 663/2024

दिनांक-16/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खेतरलाई पटवार क्षेत्र झाक तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 682/586 रकबा 20.5540 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1612-1615

दिनांक- 22.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण भीमाराम पुत्र परतापाराम जाति कुमवात निवासी खेतरलाई झाक तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण शेराराम पुत्र खेराजराम वगैराह जाति जाति कुमावत निवासी खेतरलाई तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर